Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **धौलपुर में बीरेन्द्र कुमार शर्मा, पटवारी, पटवार हल्का बसई सामन्ता तहसील को 50,000/- रू रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।**

जयपुर दिनांक 25 फरवरी 2026, बुधवार। एसीबी मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर एसीबी चौकी धौलपुर द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपी **बीरेन्द्र कुमार शर्मा, पटवारी, पटवार हल्का बसई सामन्ता तहसील व जिला धौलपुर** को परिवादी से **50,000/- रूपये** की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया ।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि एसीबी चौकी धौलपुर को एक शिकायत इस आशय कि मिली कि परिवादी के पिताजी ने दिनांक 06.01.2026 को खाता संख्या 141 के खसरा नम्बर 244, 249, 476 में से रजिस्ट्री अपने नाम कराई थी। उक्त रजिस्ट्री के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने की एवज में आरोपी पटवारी बीरेन्द्र कुमार शर्मा, पटवारी, पटवार हल्का बसई सामन्ता जिला धौलपुर 50,000/- रूपये रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहा है।

जिस पर एसीबी के **उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. रामेश्वर सिह** के सुपरविजन में आज दिनांक 25.02.2026 को एसीबी चौकी धौलपुर के **पुलिस उप अधीक्षक श्री ज्ञानचन्द** के नेतृत्व में मय टीम के ट्रैप कार्यवाही करते हुए आरोपी बीरेन्द्र कुमार शर्मा, पटवारी को 50,000/- रू की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। रिश्वत राशि आरोपी के कमरे की खिड़की से बरामद की गई है। अग्रिम कार्यवाही जारी है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ व कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।